ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2019; 5(1): 263-265
www.allresearchjournal.com
Received: 20-11-2018
Accepted: 31-12-2018

अजित कुमार भारती
शोध छात्र, सिद्धू–कान्हू मुर्मू विश्वविधालय, दुमका, झारखंड, भारत

डॉ. जैनेन्द्र यादव
स्ना. राजनीतिक विज्ञान विभाग, सिद्धू–कान्हू मुर्मू विश्वविधालय, दुमका, झारखंड, भारत

Corresponding Author:
अजित कुमार भारती
शोध छात्र, सिद्धू–कान्हू मुर्मू विश्वविधालय, दुमका, झारखंड, भारत

भारत में पंचायत राज व्यवस्था : महिला सशक्तिकरण

अजित कुमार भारती, डॉ. जैनेन्द्र यादव

सारांश
पंचायत राज व्यवस्था के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना भारत के योजनाकारों की एक अवष्यम्भावी प्रयास है इसके साथ ही पंचायत राज, सामाजिक समता और न्याय, बन्धुत्व एवं आर्थिक विकास और व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आधारित ग्रामीण जीवन को नया रूप देने का एक सामूहिक प्रयास है। पंचायती राज की नयी व्यवस्था के बाद देश के पारम्परिक पुरूष–प्रधान निर्णय लेने वाले समाज में अब निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं का भी समावेश होने लगा हैं लेकिन समाज की मानसिकता के चलते अभी भी इस रास्ते में महिलाओं के सामने अनेक कठिनाइयाँ हैं यह सत्य है कि हमारा सामाजिक ढ़ाँचा और उनकी मानसिकता समूचे देश में एक समान नहीं हैं किन्तु यह कहना भी गलत नहीं होगा कि महिलाओं के प्रति सोच में देश के विभिन्न भागों में काफी समानतायें हैं तात्पर्य यह है कि वे अब भी राजनीतिक रूप से काफी पिछड़ी हैं, पर तेजी से जागरूक हो रही हैं और आगे आ रही हैं नई व्यवस्था 50 प्रतिशत ने उन्हें और प्रेरित किया हैं।

मुख्य–शब्दः लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, पंचायत राज, स्थानीय शासन, प्रषासनिक संस्था इत्यादि।

प्रस्तावना

भारत में पंचायत राज का विकास

वर्तमान में पंचायत राज व्यवस्था स्थानीय प्रषासन का अभिन्न अंग बन चुकी है। इस व्यवस्था का उदभव कब हुआ तथा इसका तत्कालिक स्वरूप क्या था? इसके बारे में कहना कठिन है यह अनुमान अवष्य किया जा सकता है कि जब मानव समुदाय का उदय हुआ लगभग उसी समय से पंचायत व्यवस्था उदभव भी हुआ होगा। पंचायत अर्थात् पांच व्यक्तियों की सभा जो एक अति प्राचीन संस्था है जिसका अस्तित्व उनके राजनैतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के पश्चात भी बना रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व (प्राचीन) भारत में पंचायत राज

भारत में पंचायत राज की पृष्ठभूमि अतिप्राचीन रही है अर्थात उसका स्वरूप प्रथक–प्रथक प्रकार का रहा है चूँकि शासन के स्वरूप में समय–समय पर अंतर रहा है अतः भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के स्वरूप में भी समय–समय पर विभेद रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में पंचायत राज

स्वतंत्रता प्राप्ति के पष्चात भारत में स्थानीय स्वषासन की दिषा में एक नई पहल प्रारम्भ हुई थी 26 जनवरी 1950 को भारत में स्वनिर्मित संविधान परिवर्तित हुआ। संविधान में स्थानीय स्वषासन को राज की कार्य सूची के अन्तर्गत रखा गया तथा राज्यों के नीति निर्देषक सिद्धांन्तो में कहा गया कि ''राज्य का कर्तव्य होगा कि वह ग्राम पंचायतों का इस ढंग से संगठन करे कि वे स्थानीय स्वषासन की इकाईयों के रूप में कार्य कर सके।''

महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी एवं सतत प्रक्रिया

महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधनिक, राजनीतिक, मानसिक,सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। उनमें इस प्रकार की क्षमता का विकास करना जिससे वे अपने जीवन का निर्वाह इच्छानुसार कर सकें एवं उनके अन्दर आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागृत हो। महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है।, इसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण एवं सम–समाज की स्थापना करना है क्योंकि लैंगिक समता को सुशासन की कुंजी कहा जाता है। सुशासन तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक आधी आबादी को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो जाता है। इस दिशा में पंचायती राज व्यवस्था कारगर और सार्थक भूमिका अदा कर सकती है।

महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की विशेष भूमिका है क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक एवं संस्थागत स्तर पर बदलाव आया है तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। कई अध्येता इसे नारीवादी क्रान्ति का नाम देते हैं क्योंकि इसका परिप्रेक्ष्य बहुत व्यापक है।

महिलाओं को समान अधिकार

महिलाओं को अधिकार देने की अवधरणा विकासशील समुदायों में भी अध्कि लोकप्रिय हैं विकासशील देशों का नारी आन्दोलन मुख्य रूप से सामाजिक–आर्थिक मुद्दों पर आधारित हैं भारत भी इसका अपवाद नहीं हैं भारत में संविधान लागू होते ही महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार एवं नागरिक स्वतन्त्रता मिल गईं हमारे संविधान में न केवल कानून के सामने समानता और समान कानूनी संरक्षण की गारण्टी दी गई है, बल्कि राज्य को ऐसे अधिकार भी दिये गये हैं कि वह भारत में महिलाओं के हितों को बढ़ावा देने के लिये रचनात्मक उपाय करें संविधान में इस बात की गारंटी भी दी गई है कि सार्वजनिक नियुक्तियों में समानता बरती जायेगी और साथ ही प्रत्येक नागरिक का यह मूलभूत कर्त्तव्य बताया गया है कि वह महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल पंक्तियों का त्याग करें।

संवैधनिक आदेश को पूरा करने के लिये भारतीय संसद ने अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने, चिन्तन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतन्त्रता प्रदान करने, सामाजिक स्तर और अवसर की समानता देने और सभी नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के लिये समय–समय पर विभिन्न कानून बनाये हैं संसद ने महिलाओं के साथ सामाजिक भेदभाव दूर करने और उन पर अत्याचार एवं हिंसा की रोकथाम के विरूद्ध विधायी प्रस्ताव भी पारित किये हैं कानून के ढ़ाँचे में महिलाओं और उनकी विशेषताओं, आवश्यकताओं का पर्याप्त ध्यान रखा गया हैं इस प्रकार भारत का संविधान नारी हितों की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाएँ

भारत में सरकार का बुनियादी दृष्टिकोण, सामाजिक क्षेत्रा में कल्याण नीतियों के तहत महिलाओं को लक्ष्य बनाने का रहा हैं 1974 तक की पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाएँ सम्बन्धी मुद्दों में कल्याणोन्मुखी पहलू पर बल दिया गयां पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं के 'कल्याण' की बजाय उनके 'विकास' पर बल दिया जाने लगां छठी पंचवर्षीय योजना में, महिलाओं के विकास के बारे में पृथक अध्याय जोड़ा गया, जिसमें उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के उपाय किये गयें सातवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्तर को उँचा उठाने तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गयां आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत विशेष कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लाभ से महिलायें वंचित न रहें इस प्रकार 'विकास' की बजाय महिलाओं को 'अध्किार' प्रदान करने पर बल दिया गया, सरकार द्वारा कई विशेष नीतियाँ महिलाओं के लिये अपनाई गईं योजनागत खर्च में भी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की गईं प्रथम पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिये चार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर लगभग 20 अरब रूपये हो गयां । सरकार द्वारा नियोजन के अतिरिक्त किये गये प्रयासों द्वारा भी महिलाओं के उत्थान, विकास एवं समस्याओं के निस्तारण के प्रयास किये गयें। भारत में प्रचलित सांस्कृतिक मूल्यों, संसाध्न एवं अधिकार वितरण पंक्तियों और श्रेणीबद्ध समानीकरण की प्रक्रिया के बारे में कुछ बुनियादी मुद्दे उठायें स्वतन्त्रा रूप से महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना की गईं महिलाएँ सम्बन्धी राष्ट्रीय परिदृश्य योजना तैयार की गईं महिलाओं को प्रदत्त संवैधनिक एवं कानूनी अधिकारों से सम्बंधित मामलों पर निगरानी रखने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गईं महिलाओं के लिए सबसे शानदार उपलब्धि है 73वाँ एवं 74वाँ संविधान संशोधन विधेयक, जिनके माध्यम से सभी ग्रामीण और शहरी निकायों में महिलाओं के लिये स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं।

महिलाओं की सहभागिता एवं समस्यायें

पूरे देश में पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है किन्तु यह तर्क भी ध्यान देने योग्य है कि विधानमात्रा से बदलाव नहीं लाया जाता हैं भारतीय समाज का ढ़ाँचा इस प्रकार का है कि महिलाओं को हमेशा से दबाकर रखा गया था, अतः निरक्षरता, गरीबी तथा परम्परा के बंधनों को तोड़ना मुश्किल होते हुए भी जरूरी थां नवीन पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका एवं योगदान में क्रियान्वयन के स्तर पर कई समस्यायें उजागर हुई है, इनका विश्लेषण निम्न रूपों में किया जा सकता हैं। हर्ष की बात है कि बिहार राज्य में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया हैं बिहार में महिलाओं की भारी भागीदारी पंचायती राज संस्थाओं में देखने को मिलता हैं वर्तमान में उत्तराखंड, बिहार, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित करीब 14 राज्यों में शहरी निकायों में तथा करीब 17 राज्यों में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण का प्रावधन किया गया हैं यह सही है कि उनके मार्ग में पूरे देश में जटिल समस्यायें हैं, जो निम्नलिखित हैंः–

1. शिक्षा का अभाव
2. प्रशिक्षण का अभाव
3. स्थानीय दलालों की भूमिका
4. महिला प्रतिनिधियों के प्रति होने वाली हिंसा
5. सामाजिक समस्याएँ
6. पारिवारिक समस्यायें
7. जाति व्यवस्था
8. वित्तीय समस्या

पंचायती राज का सशक्तीकरण

भारतीय लोकतांत्रिक तंत्र में दो मौलिक परिवर्तन हुए हैं– (1) भारतीय राजनीति का लोकतांत्रिक आधार बढ़ गया है (2) इससे भारत के संघवाद में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं और जिला और निचले स्तर पर लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित स्थानीय सरकारों के साथ यह बहुस्तरीय संघ बन गया है। वर्ष 1992–1993 में ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरुप राजनीतिक सशक्तिकरण का जो दौर शुरु हुआ, वह वास्तव में अभूतपूर्ण है। देश में ऐसी मजबूत पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई जो स्वयं का प्रबन्धन करने की क्षमता रखती हो और शासन संचालन में सक्षम हो। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के विचारों को संविधान में अभिव्यक्त करते हुए पंचायतों को नीति निर्देशक सिद्धांतों में स्थान दिया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना की क्रियान्वयन किया जा रहा है। ई–पंचायत पुरस्कार एवं सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार से पंचायतों को प्रतिस्पर्धी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पंचायती राजः उपलब्धियां

भारत में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अन्तिम व्यक्ति को विकास से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण विकास का वाहक बनकर स्वशासन की संस्थाएं गाँधी जी के सपनों को साकार कर रही है। ग्रामसभा जो एक संवैधानिक निकाय है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। राज्य निर्वाचन आयोगों ने जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को

काफी विश्वसनीयता प्रदान की है। महिलाओं ने बड़ी संख्या में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया है। सार्वजनिक निधियों का कुशल उपयोग और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तर पर कई विस्तृत तंत्र है। आडिट के संस्थागत तंत्र व्याप्त हैं पंचायती राज व्यवस्था ने समाज के उपेक्षित वर्गों को आरक्षण के माध्यम से सशक्त करने का कार्य किया है।

निष्कर्ष

पंचायती राज की नयी व्यवस्था के बाद देश के पारम्परिक पुरूष–प्रधान निर्णय लेने वाले समाज में अब निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं का भी समावेश होने लगा हैं लेकिन समाज की मानसिकता के चलते अभी भी इस रास्ते में महिलाओं के सामने अनेक कठिनाइयाँ हैं यह सत्य है कि हमारा सामाजिक ढ़ाँचा और उनकी मानसिकता समूचे देश में एक समान नहीं हैं किन्तु यह कहना भी गलत नहीं होगा कि महिलाओं के प्रति सोच में देश के विभिन्न भागों में काफी समानतायें हैं तात्पर्य यह है कि वे अब भी राजनीतिक रूप से काफी पिछड़ी हैं, पर तेजी से जागरूक हो रही हैं और आगे आ रही हैं नई व्यवस्था 50 प्रतिशत ने उन्हें और प्रेरित किया हैं।

संदर्भ

1. नेहरू जवाहर लाल (1965) सामुदायिक विकास एवं पंचायत राज सस्ता साहित्य प्रकाशन (मण्डल) दिल्ली–पृ0 104
2. मजूमदार बी0बी0 (1915) प्रावलम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेषन पटना प्रकाशन, पटना (बिहार) पृ0 205
3. पाण्डेय राजाराम (1989) पंचायती राज, प्रकाषन पूर्वोक्त पृष्ठांकन–6
4. भारत का संविधान, अनुच्छेद–40
5. सीताराम सिंह, 'बिहार में ग्राम पंचायत एवं सुशासन', बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2012, पृ0 98
6. ललिता सोलंकी, 'महिला आर्थिक सशक्तिकरण एवं पंचायती राज, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2015,
7. सीताराम सिंह, उपरोक्त, पृ0 161–162
8. विश्वनाथ गुप्त, 'भारत में पंचायती राज' सुरभि प्रकाशन, दिल्ली, 2015, पृ0 19
9. प्रमोद कुमार अग्रवाल, 'भारत में पंचायती राज', ज्ञान गंगा, दिल्ली, 2015, पृ0 27
10. विश्वनाथ गुप्त, उपरोक्त, पृ0 24
11. बंसल, वी., पंचायती राज में महिला भागीदारी कल्याण पब्लिकेशन।
12. लक्ष्मीकांत एम. (2020), भारत की राजव्यवस्था माइग्रा हिल एजूकेशन प्राइवेट लिमिटेड।
13. बसु., डी (2009), भारत का संविधान–एक परिचय, नई दिल्ली।
14. राबिन्सन, मार्क (2005): ए डिकेड ऑफ पंचायती राज रिफार्मेसः द चैलेंज ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेट्रलाइजेशन इन इण्डिया, नई दिल्ली।
15. महाजन एस. (2009)